न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 110/19 निर्णय दिनांकः 02-01-2024
(जीसीएमएस संख्या 2019/00183)

1. तुलसीराम पुत्र चम्पाराम जाति कुम्हार निवासी 465 आरडी तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. अहमद खॉ गने खॉ जाति मुसलमान निवासी लाखनसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 03–10–2016
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः–

1. श्री करण सिंह तंवर, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नरेन्द्र गौड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 03–10–2016 जिसके द्वारा अपीलांट् को आवंटित एवं खातेदारी भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित कर दी गई, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि चक 5 डीएसएम के मुरब्बा नम्बर 211/51 के किला नम्बर 7 ता 14, 16 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 211/59 में 16 बीघा 10 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि इस प्रकार कुल 31 बीघा भूमि का आवंटन बतौर विशेष आवंटन श्रेणी में दिनांक 03–10–2016 को किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित उक्त भूमि में से मुरब्बा नम्बर 211/51 के किला नम्बर 7, 14 व 16 की भूमि पूर्व से ही अपीलांट् को आवंटित एवं खातेदारी भूमि रही है। ऐसी स्थिति में उक्त किला नम्बर की भूमि अपीलांट् की आक्यूपाईड भूमि होने के कारण किसी भी स्थिति में शुद्व रूप से आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके व राजस्व रिकार्ड की जॉच किये बिना ही आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व ना तो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना किसी प्रकार की जॉच किये रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर वादगत् भूमि का आंवटन बतौर विशेष श्रेणी में कर दिया गया। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। प्रकरण में उल्लेखनीय यह भी है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि के आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वास्तव में चक 1 एमकेएसएम के मुरब्बा नम्बर 133/16 की 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है, जिसके लिये उसके द्वारा आवेदन ही नहीं किया गया था। इसप्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसे मामलों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा चक 1 एलकेएसएम के मुरब्बा नम्बर 133/16 की 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उक्त भूमि पर प्रार्थी की प्राथमिकता निचले क्रम में होने के आधार पर प्रार्थी द्वारा विशेष आवंटन नियम 13 (ए)(5) परन्तुक के तहत अन्य रकबा चक 5 डीएसएम के मुरब्बा नम्बर 211/51 व मुरब्बा नम्बर 211/59 में भूमि आवंटन की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार मौके जॉच करने के उपरान्त चक 5 डीएसएम के मुरब्बा नम्बर 211/51 के किला नम्बर 1, 9 ता 13, 17 ता 25 तादादी 14 बीघा 10 बिस्वा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 211/59 के किला नम्बर 9 ता 25 तादादी 16 बीघा 10 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाते हुए आवंटन की तमाम कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।

प्रस्तुत प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के अधिकारों का प्रश्न है, अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील के माध्यम से मुख्य आपत्ति यह है कि उसके धारण एवं खातेदारी भूमि चक 5 डीएसएम के मुरब्बा नम्बर 211/51 के किला नम्बर 7, 14 व 16 की भूमि जोकि अपीलांट् की खातेदारी भूमि है, का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् के धारण की उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नहीं किया गया है। ऐसीस्थिति में अपीलांट् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन से किसी प्रकार से हितबद्व पक्षकार नहीं है। इस प्रकार उक्त आवंटन से अपीलांट के हित किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते है।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का आवंटन करते हुए तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है। जहॉ तक अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि उसे पूर्व में आवंटित थी ऐसी स्थिति में उक्त भूमि आक्यूपाईड लैण्ड की श्रेणी की है। इस संबंध में राजस्व अभिलेख में वादगत् भूमि शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज है तथा मौके पर खाली पड़ी है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित किये जाने की तिथि को शुद्व रूप से आराजीराज व आक्यूपाईडलैण्ड नहीं

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

थी। इसप्रकार रेस्पोडेन्ट का आवंटन पूर्णतया सही व आवंटन नियमों की पालना करते हुए अदालत मातहत द्वारा किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 03—10—2016 के विरूद्व अपील दिनांक 19—07—2019 को पेश की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट् द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के कारण संतोषजनक पाये जाने के आधार पर अपीलांट् की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की मुख्य आपत्ति रेस्पोडेन्ट संख्या को चक 5 डीएसएम के मुरब्बा नम्बर 211/51 के किला नम्बर 7, 14 व 16 को लेकर है, इस संबंध में अपीलांट् का मुख्य कथन है कि उक्त भूमि अपीलांट् को पूर्व से ही आवंटित एवं खातेदारी भूमि रही है। ऐसी स्थिति में आराजी जैर एक आक्यूपाईड लैण्ड होने के कारण शुद्व रूप से आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् की खातेदारी भूमि का आवंटन विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य यथा आदेशिका जिस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर मय दिनांक 07—10—2016 अंकित है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन आदेश दिनांक 22—11—2016 का अवलोकन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 07—10—2016 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवेदित भूमि चक 5 डीएसएम के मुरब्बा नम्बर 211/51 के किला नम्बर 7 ता 14, 16 ता 25 कुल तादादी 14 बीघा 11 व मुरब्बा नम्बर 211/59 के किला नम्बर 9 ता 25 तादादी 16 बीघा 10 बिस्वा इस प्रकार कुल 31 बीघा भूमि के आवंटन की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदित भूमि के आवंटन का पात्र माना

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गया है। कालान्तर में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जारी पट्टा दिनांक 22–11–2016 के माध्यम से चक 5 डीएसएम के मुरब्बा नम्बर 211/51 के किला नम्बर 1, 9 ता 13, 17 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 211/59 के किला नम्बर 9 ता 25 तादादी 16 बीघा 10 बिस्वा की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। इसप्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलांट् के धारण के किला नम्बर 7, 14 व 16 की भूमि का रेस्पोडेन्ट को आवंटन किये जाने का निर्णय आदेशिका के माध्यम से लिया जाना जाहिर होता है, परन्तु उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 07–10–2016 व आवंटन आदेश दिनांक 22–11–2016 में विरोधाभासी कथन किया जाना साबित होता है। अपीलांट् का प्रस्तुत अपील के माध्यम से मुख्य कथन भी यही है कि आदेशिका दिनांक 07–10–2016 के प्रभाव में रहने के कारण उन्हें अपनी आवंटित/खातेदारी प्राप्त भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित होना पड़ रहा है। प्रकरण में चूंकि अपीलांट् को आवंटित/खातेदारी भूमि चक 5 डीएसएम के मुरब्बा नम्बर 211/51 के किला नम्बर 7, 14 व 16 तादादी 3 बीघा भूमि का आवंटन आदेशिका दिनांक 07–10–2016 के माध्यम से किया जाना स्पष्ट रूप से साबित होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशिका दिनांक 07–10–2016 को संशोधित किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशिका दिनांक 07–10–2016 को अपीलांट् को आवंटित/खातेदारी भूमि चक 5 डीएसएम के मुरब्बा नम्बर 211/51 के किला नम्बर 7, 14 व 16 तादादी 3 बीघा भूमि की हद तक निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का आवंटन आदेश दिनांक 22–11–2016 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 2/1/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर